shortage, fire or any other such causes during the last three years ; and

(b) whether these matters were looked into and if so, the result thereof and, if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The following cases of theft, fire etc. have come to notice so far in respect of Central Inland Water Transport Corporation :—

(i) A vessel, called 'Tajik', the book value of which was Rs. 4,94,250/-caught fire on 10-5-1967, was damaged beyond repairs and became totally unserviceable. A thorough investigation revealed that the five was accidental but could have been controlled in time if the crew had been vigilant and alert. The crew of the vessel, including its Master and Driver, who had been the employees of Rivers Steam Navigation Company Ltd. upto 3.5.1967 and who continued to be in charge of the vessel even after it was taken over by the Central Inland Water Transport Corporation, were not absorbed in the new Company in view of their negligence.

(ii) A vessel, called 'Alipee', the book value of which was Rs. 94,743/-, sprang a leak and sank at Bansberia on the Hooghly on 8.5.1968. Enquiries revealed that the sinking of the vessel was purely accidental.

(iii) Bronze Ingots consting Rs. 3,829.26 P. were stolen from the stores of the Dockyard in July 1967. The matter was reported to the police and so far no clue has been detected.

(iv) In October 1967, the Company's cash position was checked and a shortage of Rs. 42,408.24 P. was discovered. The matter was reported to the police who recovered the entire amount from a peon of the Company. The Magistrate, who tried the case found the peon guilty of theft and sentenced him to probation for two years.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

7600. **श्री शारदा नन्द :**
कुमारी कमला कुमारी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी पुस्तकों के सृजन के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थायी समिति द्वारा गठित विषय संबंधी उपसमितियों की बैठकें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उन बैठकों में क्या सिफारिशें की गई थीं,

(ग) क्या प्रत्येक उपसमिति की वृतान्त-कार्यवाहियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) स्थाई समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उसकी आगामी बैठक किस तारीख को होनी निश्चित हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). विभिन्न विषय उपसमितियों (पेनलों) का गठन, हिन्दी भाषी राज्यों के उपकुलपतियों और राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन की स्थाई समिति द्वारा किया गया था, नकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा। आवश्यक सूचना एकत्रित और संकलित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कुतुब मीनार, दिल्ली

7601. **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 15, नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुतुब मीनार दिल्ली के ऐतिहासिक पहलू के बारे में प्रमुख इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद का व्यौरा क्या है और उन प्रमुख इतिहासकारों तथा विद्वानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिये उन इतिहासकारों तथा विद्वानों की एक गोष्ठी बुलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) कुतुब मीनार के इतिहास के सम्बंध में प्रमुख इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद के व्यौरे विवरण में दिये हैं जो सभा-पटल पर रखा गया है। (**पुस्तकालय में रखा गया।** देखिये संख्या LT—894/69)

(ख) और (ग). जी नहीं। जब तक कुतुब मीनार के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ नई सामग्री का पता नही चलता, तब तक किसी गोष्ठी के बहुत उपयोगी सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचार विभाग की नियम पुस्तिकाओं तथा प्रपत्रों का अनुवाद

7602. **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अब तक संशोधन करने के लिए कुल कितने अनुदित प्रपत्र तथा नियम पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो संशोधन किये जाने के बाद कितने प्रपत्र तथा नियम पुस्तिकाएं सम्बन्धित कार्यालयों को लौटाई गई हैं; और

(ग) शेष अनुदित प्रपत्रों तथा नियम पुस्तिकाओं में संशोधन करने के बारे में स्थिति क्या है और संशोधन कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). संचार मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीन कार्यालयों से जांच के लिए 3 फार्म और 6 मैनुअल प्राप्त हुए थे। उन सभी को जांच करने के बाद लौटा दिया गया है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास इस समय कोई कार्य निलंबित नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में नियम

7603. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्थाई बनाने के बारे में कोई नये नियम बनाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को स्थाई बनाने के बारे में वर्तमान आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) और (ख). स्थायीकरण से संबन्धित विद्यमान सामान्य तत्व तथा प्रक्रिया 20-12-68 को लोक सभा में सर्वश्री पी० आर० ठाकुर और सिधय्या के अतारांकित प्रश्न संख्या 5370 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिये थे। प्रत्येक निम्नलिखित संबंधित आदेश की एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। (**पुस्तकालय में रखा गया।** देखिए संख्या LT—895/69)

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/58 आर० पी० एस० दि० 16-5-59